कार्यालय नगर परिषद्,खगौल

E-mail :- nagarparishadkhagaul@gmail.com

पत्रांक ......935A. दिनांक 2/07/24

फॉरम–VIII– क
भवन की परमिट के अनुमोदन का फॉरम
उपविधि संख्या–8(4)

आप के आवेदन संख्या – NPK/Adampur/Res./B+G+7/156/2024-25 तिथि– 28.02.2024 के संदर्भ में श्री/**श्री सैयद तकी हैदर** के लिए

(क) आवासीय भवन के निर्माण

खगौल नगर परिषद् बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम 2012 के अधीन अधिसूचित नगर विकास योजना/आयोजना प्राधिकार/आयोजना स्कीम के आवासीय प्लॉट नं० (सी०एस०) – 252,256, 257 खाता नं०– 41,46 सर्किल नं०–00, होल्डिंग नं०– 00, वार्ड नं०– 00, तौजी नं0–00, थाना नं0–40, मौजा– आदमपुर, मोहल्ला– आदमपुर के बाबत् निम्नलिखित शर्तो/निर्वधनों के अध्याधीन एतद्र द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है :–

(क.) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से B+G+7 आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नही किया जाएगा।

(ख.) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।

(ग.) अनुमोदित योजना में दर्शाता गया **3003.96** वर्गमीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।

(घ.) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि **12.20** मीटर चौड़ाई के अनुमोदित पहुँच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।

(ङ.) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।

(च.) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकारों या बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत के अधीनस्थ खगौल नगर परिषद् आयोजना क्षेत्र में आवेदक द्वारा कोई भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में नही दी गई है।

(छ.) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किए जाने की तारीख से पांच (5) वर्षो की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।

(ज.) इस उपबंध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखंड जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो, के अधिकार/हक/हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।

(झ.) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू–अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बात कोई

विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना स्वतः रद्द समझी जाएगी।

(ञ.) भू–स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजो / कागजात के सत्यता की जिम्मेवारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि / हेर–फेर / कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ आवेदक के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

(ट.) भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप ही किये जाये, भविष्य में किसी भी प्रकार के अनियमितता / विचलन पाये जाने की स्थिति में सम्पूर्ण जवाबदेही आवेदक की होगी एवं विधि सम्मत कार्रवाई के पात्र होगें।

(ठ.) Environmental Protection Act के तहत् बहुमंजिले भवन के निर्माण के दौरान ढ़क कर निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा।

(ड.) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management Rules) 2016 का अनुपालन किया जाय।

(ढ़.) ग्रीन–एरिया का प्रावधान बिहार भवन उप–विधि 2014 के कंडिका–32 के अनुरूप निर्माण परिसर में किया जाना अनिवार्य होगा।

(ण) भवन निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व बाहरी दिवारों पर अनिवार्य रूप से प्लास्टर भू–स्वामियों द्वारा किया जायेगा। उक्त अवधि के अंदर भू–स्वामियों के द्वारा यह कार्य नही कराए जाने पर नगर निकाय द्वारा यह कार्य कराया जा सकेगा जिसकी वसूली संबंधित भू–स्वामी से की जाएगी।

विश्वासभाजन

02.07.2024

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद खगौल,पटना।